न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 02 दिनांकः 08.11.2017

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 आवंटन आदेश निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थितः— पैरोकार राज

श्री महेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय **दिनांकः— 07.04.2021**

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से हैः—

यह कि अप्रार्थी पालाराम पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी ग्राम 5 बारानी के खसरा नंबर 53 में कुल 5—00 भूमि को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2001—2002 में शिविर प्रभारी सहायक कलक्टर भादरा के द्वारा दिनांक 10.10.2001 को किया गया। आवंटन निम्न कारणों से खारिज योग्य है :—

आवंटी के पास तथा आवंटी के परिवार के सदस्यों की कुल भूमि की जांच नही की गई है।

1. आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपा कर आवंटन करवाया गया है सही तथ्य नही बताये गये है।

Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)

2. आवंटी को आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड गैर मुमकिन गोचर जोहड पायतन चारागाह दर्ज है जिसे काबिल काश्त तथा अपने कब्जे में बताते हुए आवंटन करवाया गया है जबकि मौके पर भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है अथवा अन्य के कब्जा काश्त है एवं अन्य भी काश्तकार आवंटन का पात्र था। भूमि के सही तथ्यों को छुपा कर भूमि आवंटन की गई है जो विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित है अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

इस प्रकार आवंटित ने आवंटन नियमों की शर्तो की पालना व पूर्ण नही करता है इसलिए किया गया आवंटन काबिल खारिजी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त। रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

तहसीलदार भादरा की ओर कोई उपस्थित नही।

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटित भूमि तहसील भादरा के चक 5 बारानी के मु.न. 53 की 5 बीघा भूमि है। उक्त भूमि रेस्पो. को पूर्व मे टीसी पर आवंटित थी जिसे बाद में स्मॉल पेच में आवंटन की गई व आवंटित भूमि की समस्त राशि प्रार्थी ने जमा खजाना करवा दी तथा आवंटित भूमि 40 साल से प्रार्थी के कब्जा काश्त में है, पूर्व में टीसी पर थी। उक्त भूमि प्रार्थी को स्मॉल पेच में आवंटन की गई है। स्मॉल पेच में आवंटन से पूर्व जांच की गई थी, पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूमि प्रार्थी को टीसी पर थी तथा आवंटित भुमि प्रार्थी के चिपते हुए थी व मुताबिक रिकार्ड सिवाय चक काबिल काश्त भूमि है जबकि शिकायत में उक्त भूमि गोचर जोहड पायतन बताई है कतई गलत व तथ्यों के विपरित है। प्रार्थी को टीसी से पुख्ता आवंटन होनी चाहिए थी परन्तु छोटे टुकडों की भूमि होने के कारण उक्त भूमि निर्धारित दर पर स्मॉल पेच में आवंटित कर दी गई। उक्त रकबे के चिपते काश्तकारों द्वारा भी सहमति पत्र दस रूपये के स्टाम्प पर अपनी सहमति जताई है कि चक 5 बारानी के मुरब्बा न0 53 में अराजीराज दर्ज भूमि जो पालाराम को आवंटन हुई है उक्त आवंटन हमारी सहमति से ही हुआ है। आवंटन से हमें कोई एतराज नही है हम पूर्णताया सहमत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं आवंटन आदेश दिनांक 10.10.2001 बहाल रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)